न्यायालय भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी सीकर

पीठासीन अधिकारी : बलदेवाराम धोजक, RAS

अपील संख्या 114 / 2023

1 रामेश्वर पुत्र मोतीराम जाति जाट निवासी बास भीमसरिया पटवार हल्का कोलिण्डा तहसील बिसाऊ जिला झुन्झुनूं।

अपीलांट

बनाम

1 राजेन्द्र पुत्र श्रवण कुमार जाति जाट निवासी ग्राम बास भीमसरिया पटवार हल्का कोलिण्डा तहसील बिसाऊ जिला झुन्झुनूं।
2 तहसीलदार बिसाऊ जिला झुन्झुनूं।

रेस्पोडेन्ट

अपील अ.धारा 225 राज. काश्तकारी अधिनियम 1955
अपील खिलाफ निर्णय दिनांक 17.10.2023 बअदालत
न्यायालय उपखण्ड अधिकारी मलसीसर मु. उनवानी
राजेन्द्र सिंह बनाम रामेश्वर मु.नं. 31 / 2022 प्रार्थना
पत्र अ.धारा 251 ए राज. काश्तकारी अधिनियम 1955

उपस्थिति :

1. श्री बाबुलाल, अधिवक्ता अपीलांट
2. श्री राजवीर सिंह, अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट

भू-प्रबन्ध अधिकारी एव
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर

—निर्णय—

दिनांकः—24.12.24

यह अपील विचारण न्यायालय उपखण्ड अधिकारी मलसीसर द्वारा मुकदमा नम्बर 31/2022 में पारित निर्णय दिनांक 17.10.2023 के विरूद्व प्रस्तुत हुई है।

प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि जमीन हाल खसरा नम्बर 322/149 रकबा 0.15 हैक्टेयर, सरहद राजस्व ग्राम बास भीमसर पटवार हल्का कोलिण्डा में स्थित है। खसरा नम्बर 322/149 का खातेदार रेस्पोडेन्ट राजेन्द्र सिंह है। खसरा नम्बर 322/149 के पूर्व में खसरा नम्बर 370/323 (395/370) है, खसरा नम्बर 370/323 (395/370) अपीलान्ट रामेश्वर खातेदार काश्तकार है। रेस्पोडेन्ट राजेन्द्र सिंह ने विचारण न्यायालय के समक्ष खसरा नम्बर 370/323 की दक्षिण सीमा के सहारे—सहारे खसरा नम्बर 322/149 में आने जाने के लिए 20 फीट चौड़ाई की रास्ते की मांग के लिये विचारण न्यायालय के समक्ष प्रार्थना पत्र पेश किया विचारण न्यायालय ने रेस्पोडेन्ट नम्बर 1 राजेन्द्र सिंह के प्रार्थना पत्र को विचाराधीन निर्णय 17.10.2023 के द्वारा स्वीकार कर लिया। इससे व्यथित होकर यह अपील प्रस्तुत की गई है।

बहस उभयपक्ष सुनी गई। विद्वान अधिवक्ता अपीलांट ने तर्क दिया कि मौजुदा प्रकरण में धारा 251 ए राज. काश्तकारी अधिनियम 1955 के प्रावधान लागु नहीं होते खसरा नम्बर 322/149 काश्त के उपयोग में नहीं आती तथा ना ही रेस्पोडेन्ट राजेन्द्र उक्त जमीन में काश्त करता है। खसरा नम्बर 322/149 ग्राम बास भीमसरिया का सार्वजनिक भैरूजी का मंदिर का मकान है। मंदिर के तथ्य को रेस्पोडेन्ट राजेन्द्र सिंह ने अपने आवेदन पत्र में छुपाया है। रेस्पोडेन्ट राजेन्द्र सिंह ने बिना संपरिवर्तन के कृषि भूमि में निर्माण कार्य किया है धारा 251 ए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के मुताबिक

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर

मंदिर में आने जाने के लिए कटानी रास्ते का प्रावधान नहीं है इसलिए विचाराधीन निर्णय खारिज होने योग्य है। धारा 251 ए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 में प्रकरण में माननीय राजस्व मण्डल अजमेर के निर्देशानुसार दोनों पक्षकारों की मौजुदगी में तहसीलदार एवं भू–अभिलेख निरीक्षक मौका रिपोर्ट बनायेगा एवं मौके पर जाने से पूर्व दोनों पक्षकारों को सूचित करेगा एवं पक्षकारान की मोजुदगी में मौका रिपोर्ट तैयार करेगा तथा धारा 251 ए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के प्रकरण में नजदीकी रास्ते बाबत एवं वैकल्पिक रास्ते बाबत स्पष्ट रिपोर्ट होना आवश्यक है। मौजुदा प्रकरण में दिनांक 28.06.2022 को विचारण न्यायालय ने मौका रिपोर्ट हेतु तहसीलदार बिसाऊ को आदेशित किया है मौके पर तहसीलदार बिसाऊ ने कोई मौका रिपोर्ट नहीं बनाई मौके पर भू–अभिलेख निरीक्षक को मौके की रिपोर्ट के लिए कभी विचारण न्यायालय ने आदेशित नहीं किया कानून से प्रत्यायोजित शक्तियों का प्रत्यायोजन नहीं किया जा सकता। गिरदावर हल्का की मौका रिपोर्ट क्षेत्राधिकार से बाहर है मौका रिपोर्ट अपीलान्ट की पीठ पीछे बनाई गई है। इस कारण विचाराधीन निर्णय दिनांक 17.10.2023 खारिज होने योग्य है। खसरा नम्बर 322/149 रकबा 0.15 हैक्टेयर जमीन में स्थित मकान व मन्दिर में जाने के लिए खसरा नम्बर 148 ग्राम बास भीमसरिया से पहले से चालू व वैकल्पिक रास्ता मौजुद है। कानून से चालू व वैकल्पिक रास्ता रहते धारा 251 ए राज. काश्तकारी अधिनियम के तहत कोई व्यक्ति नये रास्ते की मांग नहीं कर सकता इस प्रकार विचाराधीन निर्णय खारिज होने योग्य है। विचारण न्यायालय ने विचाराधीन निर्णय पारित करने में अपीलान्ट के साथ प्राकृतिक न्याय के सिद्धान्त की पालना नहीं की विचारण न्यायालय ने अपीलान्ट को जवाबदेही का पर्याप्त अवसर नहीं दिया दिनांक 13.12.2022 तक पत्रावली अपीलान्ट के जवाब प्रार्थना पत्र पेश करने में चलती रही दिनांक 17.01.2023 को अपीलान्ट ने मौका रिपोर्ट पर आपत्ति पेश की एवं दिनांक 17.01.2023 को आपत्ति प्रार्थना पत्र के निर्णय के पत्रावली चलती रही। उक्त आपत्ति पर दिनांक 10.10.2023 को पुनः बहस सुनी गई दिनांक 10.10.2023 को आपत्ति

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर

के निर्णय के लिये आगामी पेशी 17.10.2023 को विचारण न्यायालय ने प्रक्रियात्मक विधि के नियमों की अनदेखी कर अपीलान्ट के आपत्ति प्रार्थना पत्र को गलत रूप से खारिज कर गलत रूप से निर्णय पारित किया है। कानून से आपति प्रार्थना पत्र खारिज करने के बाद प्रोपर जवाबदेही का अवसर मिलना चाहिये था। ना तो अपीलान्ट को प्रोपर जवाबदेही का अवसर मिला तथा ना ही अपीलान्ट को मेरीट पर बहस करने का अवसर मिला विचारण न्यायालय ने विचाराधीन निर्णय पत्रावली से भिन्न मनमर्जी से लिखे है। आदेशिका के मुताबिक मैरिट पर अधिवक्ताओं की कोई बहस नहीं हुई जबकि विचाराधीन निर्णय में मैरिट पर बहस होना लिखा है। विचाराधीन निर्णय में प्रार्थना पत्र स्वीकार करने का कोई आधार दर्ज नहीं किया विचाराधीन निर्णय अस्पष्ट नहीं है इसलिये खारिज होने योग्य है। विचारण न्यायालय द्वारा पारित विचाराधीन निर्णय विधि सम्मत नहीं माना जा सकता है। अपील स्वीकार की जावें।

विद्वान अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट ने तर्क दिया कि प्रश्नगत प्रकरण में आवेदक ने अपनी खातेदारी भूमि में आने जाने हेतु खसरा नम्बर 370/323 में से रास्ता चाहा गया है। तहसीलदार की रिपोर्ट के अनुसार खेत खसरा नम्बर 370/323 व 322/149 पूर्व में एक ही खातेदार की खातेदारी में दर्ज था तथा विभाजन के दौराने रास्ते का प्रावधान नहीं रखने से रास्ते की मांग की गई है। विभाजन में रास्ते का प्रवाधान रखा जाकर ही जोत का विभाजन सह खातेदार में किये जाने का प्रावधान है प्रश्नगत प्रकरण में विभाजन के दौराने रास्ते का प्रावधान नहीं रखना विधिक त्रुटि रहीं है। जिससे खातेदार के समक्ष रास्ते को लेकर विवाद पैदा हुआ है। इसके बावजूद आवेदक रास्ते में आने वाली भूमि के बदले भूमि देने में सहमत है। इसलिये अप्रार्थी का मौका रिपोर्ट पर आपत्ति का कथन उचित प्रतीत नहीं होता। इसलिये अप्रार्थी की ओर से मौका रिपोर्ट पर आपत्ति का प्रार्थना पत्र खारिज कर तथा तमाम सबूतों के आधार पर प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251 ए स्वीकार कर विचारण न्यायालय

भू-प्रबन्ध अधिकारी एव
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर

ने कोई विधिक त्रुटि नहीं की है। विचारण न्यायालय का निर्णय विधि सम्मत है। अपील सारहीन है। खारिज की जावें।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया एवं विद्वान अधिवक्ता उभयपक्ष की बहस पर मनन किया। पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि विचारण न्यायालय में पत्रावली अपीलांट के जवाब हेतु नियत चल रही थी। विचारण न्यायालय ने अपीलांट का जवाब प्राप्त किये बिना, अपीलांट की जवाब देही बंद किये बिना विचाराधीन निर्णय पारित किया है। विचारण न्यायालय द्वारा दिनांक 17.01.2023 की आदेशिका में अंकन किया है कि अप्रार्थी की आपत्ति पर प्रार्थी ने जवाब नहीं देकर सीधे बहस का निवेदन किया। इस पर बहस प्रार्थना पत्र सुनी गई। इसके उपरांत दिनांक 10.10.2023 की आदेशिका में बहस आपत्ति प्रार्थना पत्र एवं प्रार्थना पत्र धारा 251 ए सुनने का अंकन है किन्तु इन आदेशिकाओं पर अप्रार्थी अपीलांट अथवा उसके अधिवक्ता के हस्ताक्षर नहीं है। विचारण न्यायालय ने आपत्ति का निस्तारण भी विचाराधीन निर्णय में ही कर दिया है। ऐसी स्थिति में अपीलांट को आपत्ति के निर्णय के विरूद्ध चाराजोही का अवसर प्राप्त नहीं हुआ है स्पष्ट है कि विचारण न्यायालय ने विधिक प्रकिया की पालना किये बिना विचाराधीन निर्णय पारित किया है। ऐसी स्थिति में विचारण न्यायालय द्वारा पारित विचाराधीन निर्णय विधि सम्मत नहीं माना जा सकता है।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलांट स्वीकार की जाकर विचारण न्यायालय द्वारा पारित विचाराधीन निर्णय अपास्त किया जाता है एवं प्रकरण विचारण न्यायालय को इन निर्देशों के साथ प्रति प्रेषित किया जाता है कि अपीलांट का जवाब प्राप्त कर उभयपक्ष की उपस्थिति में पुनः मौका रिपोर्ट प्राप्त कर बाद सुनवाई प्रकरण में गुणावगुण पर पुनः विधि सम्मत निर्णय पारित करें। उभयपक्ष विचारण न्यायालय के समक्ष दिनांक 30.01.2025 को उपस्थिति देवें।

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर

निर्णय आज दिनांक 24.12.24 को सरे इजलास सुनाया गया।

(बलदेवाराम धोजक)
भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी,
सीकर

भू-प्रबन्ध अधिकारी एव
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर